संख्या– 1030/सत्तर–5–2017– 26/2017

प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 43 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 29.6.2017

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

3– समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2017

विषयः– राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं की स्थानान्तरण नीति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य के अति पिछड़े/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना एवं प्रोत्साहित किया जाना है। राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं के कार्य संतुष्टि को अधिकतम करने हेतु तथा छात्र/शैक्षिक हित संरक्षित करने के लिए स्थानान्तरण/नवीन तैनाती में पारदर्शिता, समानता एवं मांग आधारित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है। अतएव राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण छात्र/शैक्षिक हित को संरक्षित करने के उद्देश्य से 'राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं की स्थानान्तरण नीति, 2017' निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

1. उद्देश्यः–

सरकार की प्राथमिकता राज्य के अति पिछड़े क्षेत्रों/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को सुलभ बनाना एवं प्रोत्साहित किया जाना है। अतः राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं के कार्य संतुष्टि को अधिकतम करने हेतु छात्र/शैक्षिक हित संरक्षित करने के लिए स्थानान्तरण/नवीन तैनाती में पारदर्शिता, समानता एवं मांग आधारित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।

2. मुख्य विशेषतायें एवं बुनियादी सिद्धान्त :–

(1) यह नीति वर्ष 2017–18 एवं अनुवर्ती वर्षों, जब तक कि सक्षम स्तर से संशोधित/अतिक्रमित न कर दी जाय, के लिए प्रभावी होगी।

(2) आवेदन करने की अन्तिम तिथि वह होगी, जैसा कि उस वर्ष हेतु अधिसूचित किया जायेगा।

(3) प्रत्येक स्थानान्तरण वर्ष में अधिसूचित तिथि के अन्दर स्थानान्तरण पूर्ण कर लिये जायेंगे। उसके उपरान्त स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे। स्थानान्तरण पूर्ण करने की कट ऑफ डेट प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई होगा। वर्तमान वर्ष–2017 प्रथम वर्ष होने के फलस्वरूप स्थानान्तरण 31 जुलाई, 2017 तक सम्पादित किये जायेंगे ।

(4) शिक्षक–छात्र अनुपात (1 : 60) को दृष्टिगत रखते हुए यदि किसी महाविद्यालय में अधिक संख्या में अध्यापक तैनात हैं (सरप्लस स्टाफ) तो उन्हें सर्वप्रथम ऐसे महाविद्यालय में समायोजित किया जायेगा जहॉ शिक्षक–छात्र अनुपात के अनुसार उनकी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में 'लास्ट इन फर्स्ट आउट' के सिद्धान्त के अनुसार कनिष्ठतम प्रवक्ता को विकल्प मांग कर अन्यत्र समायोजित किया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित दशा में सरप्लस घोषित होने से छूट प्राप्त होगी :–

(क) जिनकी सेवानिवृत्त में 02 वर्ष से कम अवधि है।
(ख) गंभीर रोग यथा– कैंसर, एड्स, किडनी/लीवर फेल्योर आदि।
(ग) किसी प्रवक्ता/प्राचार्य का पति/पत्नी सैनिक व अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत है तथा उसकी तैनाती सीमा अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।
(घ) पति–पत्नी दोनों उसी जनपद के राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं।
(च) राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रवक्ता।

(5) सरप्लस स्टाफ के विकल्प के आधार पर समायोजन के उपरान्त निम्न श्रेणी के अध्यापकों के विकल्प के आधार पर निर्धारित वरीयता क्रमानुसार उनके विकल्पों पर रिक्ति की दशा में अनुरोधानुसार तैनाती/स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता दी जायेगी :–

(क) यदि किसी महिला प्रवक्ता/प्राचार्य का पति/पत्नी सैनिक व अर्द्धसैनिक बल में कार्यरत है तथा उसकी तैनाती सीमा अथवा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है।

(ख) यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं एवं अलग–अलग जनपदों में तैनात हैं।

(ग) अति गम्भीर रोग जैसे– कैंसर, एड्स, किडनी फेल्योर, लीवर फेल्योर, आदि से ग्रसित हैं।

(घ) ऐसे प्रवक्ता/प्राचार्य जिनकी सेवानिवृत्ति में 02 वर्ष (अधिवर्षता की तिथि से सत्र लाभ की अवधि को आगणित करते हुए) से कम का समय रह गया है, उन्हें इच्छित जनपद/गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है।

(6) उक्त बिन्दु 2(5) में उल्लिखित वरीयताक्रम के अनुसार स्थानान्तरण/तैनाती दिये जाने के उपरान्त स्थानान्तरण हेतु ऑन–लाईन प्राप्त आवेदन–पत्रों के सापेक्ष स्थान के आवंटन का निर्णय,एक प्रवक्ता/प्राचार्य द्वारा निम्न विवरण के अनुसार अर्जित अधिकतम अंको के योग के आधार पर किया जायेगा। एक पद के सापेक्ष एक से

अधिक दावेदार होने की स्थिति में उच्चतर अंक अर्जित करने वाले शिक्षक को विकल्प आवंटित कर दिया जायेगा :–

क्र0	मुख्य कारक	उप कारक	अधिकतम अंक	अंको का मानक
1.	आयु (वर्तमान दिनांक से जन्मतिथि का अन्तर)	उम्र के अनुसार प्रत्येक वर्ष हेतु 01 अंक	58	दिनों के आधार पर आयु/365 (अधिकतम दशमलव के 4 बिन्दु तक)
2.	लिंग	महिला	10	महिला प्रवक्ता/प्राचार्य को 10 अंक दिये जायेंगे
3.	महिला शिक्षकों की विशेष श्रेणी	विधवा, तलाकशुदा, परिवार से अलग, अविवाहित, वह महिला शिक्षिका जिसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है/सैनिक की पत्नी/राज्य के बाहर अर्द्ध सैनिक बल में कार्य करनें वाले व्यक्ति की पत्नी	10	इस वर्ग की सभी महिलाओं को केवल 10 अंक प्रदान किये जायेंगे
4.	पुरुष शिक्षकों की विशेष श्रेणी	विधुर (वह पुरुष जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो और वह पुनः विवाह न किया हो) और छोटा बच्चा/अथवा अविवाहित पुत्री/पुत्रियॉ	10	ऐसे आवेदक को 5 अंक प्रदान किये जायेंगे। (पुनः शादी करनें/बच्चों के बड़े होनें पर/पुत्रियों की शादी हो जाने पर, कर्मचारी अपना प्रोफाइल एम0आई0एस0 में तैयार करेगा और किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा)
5.	स्वयं की दिव्यांगता	दृष्टि/ बहरा/ गूँगा/ चलन किया	40 से 60 प्रतिशत –10अंक, 60 से 80 प्रतिशत–15 अंक, 80 प्रतिशत से अधिक–20 अंक	सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत अंकित हो, प्रस्तुत करने पर
6.	पति/पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्री की दिव्यांगता	—	10	सक्षम स्तर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र, जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो, प्रस्तुत करने पर
7.	गंभीर बीमारी	स्वयं	10	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली/ शाखाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा विधिवत स्थापित चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण, प्रस्तुत करने पर
		पत्नी/अविवाहित बच्चे	10	

8.	राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त	—	10	सुसंगत अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर
9.	यदि पति-पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हो	—	10	नियोक्ता द्वारा प्रमाण-पत्र /संस्तुति पत्र उपलब्ध कराने पर
10.	श्रेणी-।।। के राजकीय महाविद्यालयों कार्यरत प्रवक्ता/ प्राचार्य	प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 02 अंक	10	पूर्ण वर्ष न होने पर अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।
11.	श्रेणी-।। के राजकीय महाविद्यालयों कार्यरत प्रवक्ता/ प्राचार्य	प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 01 अंक	05	पूर्ण वर्ष न होने पर अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

3. स्थानान्तरण की प्रकिया:-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष राजकीय महाविद्यालयों की रिक्तियों को विभागीय वेबसाईट पर अधिसूचित/प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्राचार्य एवं प्रवक्ता जो स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हैं, के द्वारा अधिसूचित तिथि के मध्य स्थानान्तरण हेतु विभागीय वेबसाईट पर ऑन-लाईन आवेदन के माध्यम से वरीयता क्रम में 03 विकल्प दिया जायेगा।.

(3) ऑफ-लाईन अथवा निदेशक, उच्च शिक्षा व शासन में स्थानान्तरण हेतु किये गये आवेदन न तो स्वीकार किये जायेंगे और न ही इसके सापेक्ष स्थानान्तरण का दावा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) एक बार चुना गया विकल्प अन्तिम होगा और इसे केवल स्थानान्तरण नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत ही बदला जा सकेगा।

(5) संबंधित प्रवक्ता/प्राचार्य अपने से सम्बन्धित डाटा विवरण की शुद्धता एवं उसे अद्यतन करने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर वह किसी विसंगति को देखता है तो सक्षम अधिकारी को, उचित प्रकिया के माध्यम से संगत साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए संशोधित करायेगा। यदि कोई स्थिति बदली हुई पायी जाती है तो प्रोफाइल की अद्यतन स्थिति के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(6) सभी विकल्पों को एक बार प्रयोग किये जाने पर सभी सम्बन्धित शिक्षकों को उनके लागइन में देखने के लिये उपलब्ध होगा।

(7) स्थानान्तरण आवेदन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा, जबकि एक प्रतिशत मामंलों को ऐच्छिक आधार पर मैन्युअल रूप से परीक्षण कर किया जाएगा।

(8) चयनित महाविद्यालयों में स्थानान्तरण या तैनाती का दावा, अधिकार स्वरूप मॉग के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

4. स्थानान्तरण एवं नवीन तैनाती हेतु मार्ग-दर्शक बिन्दु:-

(1) कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति 2017-18 के प्रस्तर-2 में व्यवस्था है कि समूह-'क' एवं 'ख' के अधिकारी, जो अपने सेवाकाल में जनपद में 03 वर्ष तथा मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को अन्य जनपदों/मण्डलों में स्थानान्तरित कर

दिया जाय। उच्च शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र निकट होने तथा प्रथम बार ऑन लाईन स्थानान्तरण की व्यवस्था लागू होने के कारण इस वर्ष नीति के अनुसार सामान्य स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे। आगामी वर्ष में इस सम्बन्ध में सुविचारित नीति निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी। मात्र सरप्लस स्टाफ के समायोजन एवं स्थानान्तरण हेतु विकल्प देने वाले प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण किया जायेगा।

(2) प्रवक्ताओं/प्राचार्यों (जिनकी अधिवर्षता में 02 वर्ष से कम अवधि है, को छोड़कर) को उनके गृह जनपद में स्थानान्तरण अथवा नवीन तैनाती नहीं दी जायेगी।

(3) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले एवं विभागीय जॉच, सतर्कता जॉच, ई0ओ0डब्लू0 जॉच व प्रशासनाधिकरण की जॉच में अन्तर्ग्रस्त प्रवक्ताओं/प्राचार्यों को महत्वपूर्ण/संवेदनशील स्थानों पर तैनाती नहीं दी जायेगी।

(4) राजकीय महिला महाविद्यालयों में यथासम्भव महिला प्रवक्ताओं/प्राचार्यों की तैनाती दी जायेगी।

(5) स्थानान्तरित प्रवक्ताओं/प्राचार्यों द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से स्वतः कार्यमुक्त समझा जायेगा एवं उन्हें 01 सप्ताह के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। सम्बन्धित प्रवक्ता/प्राचार्य का वेतन आहरण नवीन तैनाती स्थान/महाविद्यालय से ही किया जायेगा।

(6) स्थानान्तरण की प्रकिया के दौरान यह ध्यान रखा जायेगा कि श्रेणी–III के महाविद्यालयों में रिक्त पदों की वृद्धि न होने पाये।

(7) श्रेणी–I, श्रेणी–II एवं श्रेणी–III के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं की न्यूनतम तैनाती अवधि आगामी वर्ष में निर्धारित कर लागू की जायेगी।

(8) ऐसे महाविद्यालयों, जहॉ किसी विषय में प्रवक्ता का मात्र 01 पद सृजित है तथा उसके सापेक्ष एक ही प्रवक्ता कार्यरत हैं, तो उसे उसके अनुरोधानुसार ऐसे महाविद्यालय में स्थानान्तरित कर तैनात नहीं किया जायेगा, जहॉ उस विषय में एक से अधिक प्रवक्ता कार्यरत हैं।

(9) स्थानान्तरण सत्र के दौरान जनहित/शासकीय कार्यहित/प्रशासकीय आधार पर किसी भी प्राचार्य/प्रवक्ता का स्थानान्तरण करने एवं स्थानान्तरण नीति के किसी उपबन्ध से छूट देने/शिथिल करने का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा तथा स्थानान्तरण सत्र के पश्चात् मा0 उप मुख्य मंत्री/मा0 मुख्य मंत्री के अनुमोदनोपरान्त, कार्यरत कुल प्रवक्ताओं की संख्या के 4 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(10) लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से चयनोपरान्त संस्तुत नये प्रवक्ताओं को सामान्यतः श्रेणी–III के राजकीय महाविद्यालयों में तैनाती दी जायेगी।

(11) स्थानान्तरण किये जाने में छात्रहित/शैक्षिक हित सर्वोपरि होगा।

5. राजकीय महाविद्यालयों का श्रेणीवार विभाजन :–

(1) श्रेणी–I के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालयों से 20 किलोमीटर के अन्दर स्थित राजकीय महाविद्यालय रखे गये हैं (किन्तु बुन्देलखण्ड के राजकीय महाविद्यालय सम्मिलित नहीं हैं)। संगत महाविद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी–I

क्र0	महाविद्यालय का नाम
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना, लखनऊ
2.	राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज, लखनऊ
3.	राजकीय महिला महाविद्यालय राजाजीपुरम, लखनऊ
4.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई
5.	राजकीय महिला महाविद्यालय, रायबरेली
6.	राजकीय महाविद्यालय, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर
7.	राजकीय महिला महाविद्यालय, माधवपुरम, मेरठ
8.	राजकीय महाविद्यालय, गाजियाबाद
9.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली
10.	राजकीय महिला महाविद्यालय, देवरिया
11.	राजकीय महिला महाविद्यालय, खलीलाबाद, संतकबीरनगर
12.	राजकीय महिला महाविद्यालय, डी0एल0डब्लू, वाराणसी
13.	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर
14.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनी, इलाहाबाद
15.	राजकीय महाविद्यालय, कौशाम्बी
16.	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फतेहपुर
17.	राजकीय महाविद्यालय, बदायूँ
18.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बदायूँ
19.	राजकीय महिला महाविद्यालय, पीलीभीत
20.	राजकीय महाविद्यालय, तिलहर, शाहजहाँपुर
21.	राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर
22.	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर
23.	राजकीय महाविद्यालय, सम्भल
24.	राजकीय महाविद्यालय, महराजगंज
25.	राजकीय महाविद्यालय, कैराना, शामली
26.	राजकीय महाविद्यालय, पुवॉरका, सहारनपुर
27.	राजकीय महाविद्यालय, कोटा, सहारनपुर
28.	राजकीय महाविद्यालय, औडन्य पडरिया, मैनपुरी
29.	राजकीय महाविद्यालय, कासगंज
30.	राजकीय महाविद्यालय, पलही पट्टी, वाराणसी
31.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौली
32.	राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया
33.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही
34.	राजकीय महाविद्यालय, भदोही
35.	राजकीय महाविद्यालय, युसुफपुर, गाजीपुर
36.	राजकीय महाविद्यालय, बगली पिजड़ा मऊ
37.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ
38.	राजकीय महाविद्यालय, सीतापुर
39.	राजकीय महाविद्यालय, बांगर, कन्नौज
40.	राजकीय महाविद्यालय, अकबरपुर कानपुर देहात
41.	राजकीय महिला महाविद्यालय, इटावा

42.	राजकीय महाविद्यालय, इन्दुपुर गौरीबाजार, देवरिया
43.	राजकीय महाविद्यालय, सहजनवा, गोरखपुर
44.	राजकीय महाविद्यालय, कप्तानगंज, बस्ती
45.	राजकीय महिला महाविद्यालय, औराई भदोही
46.	राजकीय महाविद्यालय, मुफ़्तीगंज, जौनपुर
47.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर
48.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोएडा, गौतमबुद्धनगर
49.	राजकीय महाविद्यालय, कांधला, शामली
50.	राजकीय महाविद्यालय, उन्नाव
51.	राजकीय महाविद्यालय, फैजाबाद
52.	राजकीय महाविद्यालय, हरख, बाराबंकी
53.	राजकीय महाविद्यालय, निनौवा, फर्रुखाबाद
54.	राजकीय महाविद्यालय, भोजपुर, मुरादाबाद
55.	राजकीय महाविद्यालय, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र

(2) श्रेणी–II के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालय के 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के अन्दर स्थित राजकीय महाविद्यालय सम्मिलित हैं (किन्तु बुन्देलखण्ड के राजकीय महाविद्यालय सम्मिलित नहीं हैं)। संगत महाविद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी–II

क0	महाविद्यालय का नाम
1.	राजकीय महिला महाविद्यालय, ऑवलखेड़ा, आगरा
2.	राजकीय महाविद्यालय, सैदाबाद, इलाहाबाद
3.	राजकीय महाविद्यालय, सांगीपुर, प्रतापगढ़
4.	राजकीय महाविद्यालय, पट्टी, प्रतापगढ़
5.	राजकीय महाविद्यालय, रानीगंज, प्रतापगढ़
6.	राजकीय महाविद्यालय, मगरौरा, प्रतापगढ़
7.	राजकीय महाविद्यालय, फरीदपुर, बरेली
8.	राजकीय महाविद्यालय, बिल्सी, बदायूँ
9.	राजकीय महाविद्यालय, जलालाबाद, शाहजहॉपुर
10.	राजकीय महाविद्यालय, खरखौदा, मेरठ
11.	राजकीय महाविद्यालय, फतेहाबाद, आगरा
12.	राजकीय महाविद्यालय, मॉट, मथुरा
13.	राजकीय महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद
14.	राजकीय महाविद्यालय, गोण्डा इगलास, अलीगढ़
15.	राजकीय महाविद्यालय, खैर, अलीगढ़
16.	राजकीय महाविद्यालय, अतरौली, अलीगढ़
17.	राजकीय महाविद्यालय, गभाना, अलीगढ़
18.	राजकीय महाविद्यालय, सिकन्दराराऊ, हाथरस
19.	राजकीय महाविद्यालय, कुरावली, मैनपुरी
20.	राजकीय महाविद्यालय, चकिया, चन्दौली
21.	राजकीय महाविद्यालय, सैदपुर, गाजीपुर
22.	राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर
23.	राजकीय महाविद्यालय, ऊँचाहार, रायबरेली
24.	राजकीय महाविद्यालय, मुसाफिरखाना, अमेठी
25.	राजकीय महाविद्यालय, विधुना, औरैया
26.	राजकीय महाविद्यालय, कॉट शाहजहॉपुर

27.	राजकीय महाविद्यालय, बिलासपुर, रामपुर
28.	राजकीय महाविद्यालय, गजरौला, अमरोहा
29.	राजकीय महाविद्यालय, कैम्पियरगंज, गोरखपुर
30.	राजकीय महाविद्यालय, सलेमपुर, देवरिया
31.	राजकीय महाविद्यालय, पथरदेवा, देवरिया
32.	राजकीय महाविद्यालय, हरैया, बस्ती
33.	राजकीय महाविद्यालय, कुरसण्डा, हाथरस
34.	राजकीय महाविद्यालय, जक्खिनी, वाराणसी
35.	राजकीय महाविद्यालय, सेवापुरी, वाराणसी
36.	राजकीय महाविद्यालय, लालगंज, मिर्जापुर
37.	राजकीय महाविद्यालय, अदलहाट, मिर्जापुर
38.	राजकीय महाविद्यालय, अहरौला, आजमगढ़
39.	राजकीय महाविद्यालय, छपरौली, बागपत
40.	राजकीय महाविद्यालय, जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर
41.	राजकीय महाविद्यालय, बेहट, सहारनपुर
42.	राजकीय महाविद्यालय, पिहानी, हरदोई
43.	राजकीय महाविद्यालय, पचपेड़वा, बलरामपुर
44.	राजकीय महाविद्यालय, अनौगी कन्नौज
45.	राजकीय महाविद्यालय, धानापुर, चन्दौली
46.	राजकीय महाविद्यालय, ओबरा, सोनभद्र
47.	राजकीय महाविद्यालय, पवनीकला, सोनभद्र
48.	राजकीय महाविद्यालय, बहुआ देहात, फतेहपुर

(3) श्रेणी–III के अन्तर्गत उपरोक्त से भिन्न राजकीय महाविद्यालय सम्मिलित हैं। संगत महाविद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

श्रेणी–III

क0	महाविद्यालय का नाम
1.	राजकीय महाविद्यालय, धनुपुर, हण्डिया
2.	राजकीय महाविद्यालय, बिन्दकी, फतेहपुर
3.	राजकीय महाविद्यालय, ऑवला, बरेली
4.	राजकीय महाविद्यालय, बिसौली, बदायूँ
5.	राजकीय महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत
6.	राजकीय महाविद्यालय, हाटा कुशीनगर
7.	राजकीय महाविद्यालय, देवबंद सहारनपुर
8.	राजकीय महाविद्यालय, जलेसर, एटा
9.	राजकीय महाविद्यालय, शाहगंज, जौनपुर
10.	राजकीय महाविद्यालय, महोना, लखनऊ
11.	राजकीय महाविद्यालय, बांगरमऊ, उन्नाव
12.	राजकीय महाविद्यालय, पलियांकला, लखीमपुर खीरी
13.	राजकीय महाविद्यालय, छिबरामऊ, कन्नौज
14.	राजकीय महिला महाविद्यालय, झांसी
15.	राजकीय महाविद्यालय, समथर, झासी
16.	राजकीय महाविद्यालय, ललितपुर
17.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुछेछा, हमीरपुर
18.	राजकीय महिला महाविद्यालय, हमीरपुर
19.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महोबा
20.	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांदा
21.	राजकीय महाविद्यालय, कर्वी, चित्रकूट

22.	राजकीय महाविद्यालय, सहसवान, बदायूँ
23.	राजकीय महाविद्यालय, हेमपुर, पीलीभीत
24.	राजकीय महाविद्यालय, स्वार, रामपुर
25.	राजकीय महाविद्यालय, गंगेश्वरी, अमरोहा
26.	राजकीय महाविद्यालय, गुन्नौर, सम्भल
27.	राजकीय महाविद्यालय, शेरकोट, बिजनौर
28.	राजकीय महाविद्यालय, पचवस, बस्ती
29.	राजकीय महाविद्यालय, रूधौली, बस्ती
30.	राजकीय महाविद्यालय, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर
31.	राजकीय महाविद्यालय, टप्पल, अलीगढ़
32.	राजकीय महाविद्यालय, छर्रा, अलीगढ़
33.	राजकीय महाविद्यालय, चुनार, मिर्जापुर
34.	राजकीय महाविद्यालय, मगरहा, मिर्जापुर
35.	राजकीय महाविद्यालय, बीबीनगर, बुलन्दशहर
36.	राजकीय महाविद्यालय, ननौता, सहारनपुर
37.	राजकीय महाविद्यालय, गंगोह, सहारनपुर
38.	राजकीय महाविद्यालय, निहस्था, रायबरेली
39.	राजकीय महाविद्यालय, गोसाईखेड़ा, उन्नाव
40.	राजकीय महाविद्यालय, हसौर, बाराबंकी
41.	राजकीय महाविद्यालय, आलापुर, अम्बेडकरनगर
42.	राजकीय महाविद्यालय, शिवराजपुर, कानपुर
43.	राजकीय महाविद्यालय, मोदहा, हमीरपुर
44.	राजकीय महाविद्यालय, जालौन
45.	राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती
46.	राजकीय महाविद्यालय, चरखारी, महोबा
47.	राजकीय महाविद्यालय, देवगनपुरा, महोबा
48.	राजकीय महाविद्यालय, अम्बारी, आजमगढ़
49.	राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चन्दौली
50.	राजकीय महाविद्यालय, दुद्धी सोनभद्र
51.	राजकीय महाविद्यालय, तालबेहट, ललितपुर
52.	राजकीय महाविद्यालय, मेहरौनी, ललितपुर
53.	राजकीय महाविद्यालय, पुलवारावार, ललितपुर
54.	राजकीय महाविद्यालय, तिन्दवारी, बाँदा
55.	राजकीय महाविद्यालय, मानिकपुर, चित्रकूट

6. अस्वीकरणः–

स्थानान्तरण के बारे में यह दिशा निर्देश अनिवार्य रूप से विभाग के आन्तरिक उपयोग के लिये है और किसी भी शिक्षक को स्थानान्तरित करवाने या रूकवाने का कोई अधिकार नहीं है।

7. स्थानान्तरण हेतु प्रभावित करने वाले असंगत कारकों से निषेध :–

प्राचार्य/प्रवक्ता स्थानान्तरण हेतु किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव/दबाव नहीं बनायेंगे। शिक्षक के स्थानान्तरण हेतु प्राप्त कारकों को इस रूप में माना जाएगा कि यह शिक्षक द्वारा उत्पन्न किया गया है, तो ऐसे शिक्षक के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों/प्राचार्यों के विरूद्ध सम्बन्धित सेवा–नियमों के अनुसार कार्यवाही भी शुरू की जा सकती है और इस कृत्य के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज की जायेगी।

8. अन्य बिन्दु :–

(1) किसी भी प्रवक्ता को उसकी मूल तैनाती के स्थान से अन्यत्र सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

(2) किसी भी महाविद्यालय में छात्र–प्रवक्ता मानक से अधिक प्रवक्ता तैनात नहीं किये जायेंगे।

9. इस स्थानान्तरण नीति में विहित प्राविधानों के अतिरिक्त यदि किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण निर्गत करना होगा तो इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के उपबन्ध लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1030 (1)/सत्तर–5–2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
(3) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
(5) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग।
(7) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेब साईट के माध्यम से प्रकाशन हेतु ।
(8) कार्मिक अनुभाग–4
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।